

गौरु विकास प्राधिकरण

की

32वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 20-10-87

का

कार्यालय

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की बैठक दिनांक 20-10-87

समय : प्रातः 11-00 बजे

स्थान : विकास भवन, "समिति कक्ष"

उपस्थिति :

1- श्री वी० के० दीवान	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।	अध्यक्ष
2- श्री कुँवर फतेह बहादुर	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष
3- श्री टी० जार्ज जोसेफ	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य
4- श्री शंकर अग्रवाल	संयुक्त सचिव, आवास	सदस्य
5- श्री बी० एल० मनचन्दा	उपसचिव, वित्त विभाग	सदस्य
6- श्री जे० पी० भार्गव	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ० प्र०	सदस्य
7- श्री जे० ए० जोशी	अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल, सदस्य जलनिगम, मेरठ।	
8- श्री आर० के० वर्मा	अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, आवास एवं सदस्य विकास परिषद, मेरठ।	

मेरठ विकास प्राधिकरण की आवास विभाग द्वारा आयोजित

मेरठ विकास प्राधिकरण में जापन के विद्वान् प्रतिक्रिया की आवायन।

विकास प्राधिकरण द्वारा जापन की विद्वान् प्रतिक्रिया का आवायन
है। यह जापन के सभी शीट मुद्राओं वाले एवं ग्राम नियोजक विकास प्राधिकरण
परिषद् द्वारा आयोजित है। विद्वान् प्रतिक्रिया का आवायन इन्हीं विद्वान् की भावावी
वैज्ञानिक विचारणा का विवरण है। विद्वान् प्रतिक्रिया का आवायन इन्हीं विद्वान् की
वैज्ञानिक विचारणा का विवरण है।

इस विवरण में विद्वान् का विवरण दिया गया है। इस विवरण में विद्वान् का विवरण दिया गया है। इस विवरण में विद्वान् का विवरण दिया गया है। इस विवरण में विद्वान् का विवरण दिया गया है। इस विवरण में विद्वान् का विवरण दिया गया है।

मेरठ महायोजना के जोन-८ की विकास योजनाओं में
मेरठ विकास प्राधिकरण की दिनांक 20-10-87 को हुई बैठक का
कार्यवृत्त

मद संख्या-१

दिनांक 30-4-87 की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

दिनांक 30-4-87 की बैठक के कार्यवृत्त की अध्यक्ष द्वारा पुष्टि की
गयी ।

मद संख्या -२

दिनांक 30-4-87 की बैठक की कार्यवाही का अनुपालन ।

गढ़ रोड एवं परीक्षित गढ़ रोड को मिलाने वाले 120 फुट चौड़
मार्ग के निर्माण की योजना ।

विचार - विमर्श के उपरान्त यह निर्देश दिये गये कि आवास एवं विकास
परिषद के जिस रोड का निर्माण किया जाना है उसको यथाशीघ्र निर्मित कराया
जाये । इस सड़क के निर्माण में कलवर्ट का निर्माण सम्बन्धित कालोनाईजर्स
से प्राथमिकता के आधार पर करा लिया जाये ।

मेरठ महायोजना में जोन-७ में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों की समाप्ति ।

वास्तुविद नियोजक ने इस जोन की स्थिति को मानचित्र पर स्पष्ट करते
हुए यह बताया कि सर्वे शीट मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के कार्यालय में
परीक्षण हेतु विचाराधीन है । विचार-विमर्श के बाद निर्देश दिये गये कि आगामी
बैठक में जोनल प्लान के प्रारूप मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के द्वारा प्रस्तुत
किये जायें ।

इस क्षेत्र में कुल कितनी कालोनियाँ अधिकृत घोषित की गयी हैं उक्त
क्षेत्र से कुल कितना विकास शुल्क लिया गया है, इसका पूर्ण विवरण बैठक में
प्रस्तुत किया जाये तथा यह भी निर्देश दिये गये कि अवैध निर्माण को
प्रभावशाली ढंग से रोकने की कार्यवाही की जाये ।

मेरठ महायोजना के जोन-53 की विकास योजनाओं में भूउपयोग परिवर्तन तथा संशोधित क्षेत्र की अध्यापिति ।

प्राधिकरण द्वारा जोनल प्लान में जो संशोधन किया गया है, उनका अनुमोदन किया गया और ये निर्देश दिये गये कि संशोधित एवं अनुमोदित प्रस्ताव को एक सप्ताह में शासन को सम्प्रेषित कर दिया जाये तथा शासन को भेजे जाने वाले प्रस्ताव की एक प्रति मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को भी भेज दी जाये ।

ग्राम बराल परतापुर का भूउपयोग परिवर्तन ।

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में भूउपयोग परिवर्तन के औचित्य के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाये एवं मौके पर वास्तविक स्थिति को भी स्पष्ट किया जाये ।

मेरठ - दिल्ली बाईपास मार्ग पर ग्राम बराल परतापुर, सुन्दरापुर उर्फ पूठा, मलियाना व दुंगरावली में प्रस्तावित औद्योगिक आस्थान ।

इस प्रस्ताव पर मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि क्या ऑफिस - कम - कार्मशियल योजना में जितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है उसके अनुसार माँग भी हैं या नहीं । उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि यह योजना एन०सी०आर०बोर्ड की योजना को ध्यान में रखकर बनाई गयी है क्योंकि सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों के अधिक संख्या में मेरठ आने की सम्भावना है । अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि एन०सी०आर०बोर्ड के स्तर पर इस योजना का समन्वय किया जाये तथा उपाध्यक्ष द्वारा इस योजना की माँग भी देख ली जाये एवं इस स्तर के विकास हेतु तल्लपट मानचित्र बना लिया जाये । अन्तिम निर्णय हेतु प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

राष्ट्रीय हिन्दी परिषद को भूखण्ड आबंटन ।

इस बिन्दु पर विचार-विमर्श के उपरान्त निरस्त कर दिया गया ।

हापुड रोड पर बस स्टेन्ड की व्यवस्था ।

इस बिन्दु पर विचार विमर्श के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि आवास एवं विकास परिषद द्वारा अब तक भूमि का हस्तान्तरण नहीं किया गया । बैठक में उपस्थित अधीक्षण अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद से यह अपेक्षा की गयी कि चार एकड़ भूमि प्राधिकरण को तत्काल हस्तान्तरित कर दी जाये जिससे कि प्राधिकरण उक्त भूमि पर बस स्टेन्ड बनाये जाने का काम यथाशीघ्र प्रारम्भ कर दें ।

नवीन विकसित आवासीय क्षेत्रों में पार्श्व सैट बैक के 40 प्रतिशत क्षेत्र में निर्माण की अनुमति ।

इस सम्बन्ध में निर्देश दिया गया कि प्राधिकरण के निर्णय को शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये एवं इसकी एक प्रति मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को भी प्रेषित कर दी जाये तथा शासन से आदेश प्राप्त होने के बाद इसका अनुपालन किया जाये ।

भूउपयोग परिवर्तन

1- मैसर्स नवयुग इण्डिया

विचार - विमर्श के दौरान बैठक में उपस्थित संयुक्त सचिव, आवास अनुभाग के द्वारा यह बताया गया कि प्रश्नान्तरण प्रकरण अब लम्बित नहीं है । इसका निस्तारण हो गया है । तदनुसार यह निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण को यदि शासन से निर्देश प्राप्त हो गये हैं तो अपेक्षित कार्यवाही करें और यदि निर्देश अभी प्राप्त नहीं हुए हैं तो शासन से इस सम्बन्ध में निर्देश प्राप्त कर लिये जायें ।

2- श्री रमन अग्रवाल

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया । कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

3- नवयुग सहकारी गृह निर्माण समिति

श्री शंकर अग्रवाल, संयुक्त सचिव, आवास अनुभाग ने अवगत कराया कि भूउपयोग परिवर्तन प्रस्ताव शासन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हैं तदनुसार प्राधिकरण आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

4- जनकपुरी सहकारी आवास समिति

चूँकि इस प्रस्ताव पर भूउपयोग परिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

5- मैसर्स अग्रवाल बिल्डर्स

अनुपालन आख्या के अवलोकनोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि प्राईवेट बिल्डर्स से नियमानुसार विकास शुल्क जमा करा लिया जाये एवं आन्तरिक विकास के लिये ली जाने वाली बैंक गारन्टी पर बिशेष ध्यान दिया जाये जिससे कि उसकी अवधि समाप्त न हो पाये तथा विकास कार्य सही ढंग से होना सम्भव हो सके।

बर्ष 1986-87 का पुनरीक्षित तथा बर्ष 1987-88 का प्रस्तावित आय - व्ययक।

प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक में आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाये जिससे कि प्राधिकरण द्वारा चलायी जा रही योजनाओं एवं उनकी वित्तीय स्थिति की जानकारी हो सके।

पटेल मण्डप की जाँच के बिषय में आदेश दिये गये कि इसकी जाँच शीघ्र ही कर ली जाये तथा जाँच आख्या प्रस्तुत की जाये। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने कहा कि जब तक जाँच पूरी न हो जाये तब तक पटेल मण्डप पर किसी प्रकार का अतिरिक्त कार्य न लिया जाये। विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय हुआ कि चूँकि पटेल मण्डप पर कम से कम व्यय करके इसका निर्माण पूर्ण कराने की योजना बनायी जाये ताकि इसकी उपयोगिता सिद्ध हो सके तथा नागरिकों को बर्ष भर कार्यक्रम करने की सुविधा उपलब्ध हो सके।

श्रीमति पुष्पा रानी का ग्राम बराल परतापुर का भूउपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव ।

चूँकि इस प्रस्ताव पर कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है अतः इस प्रस्ताव को
यथा प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

1- मेरठ बाईपास, सरधना रोड, रुडकी रोड और कैन्ट की बाउन्ड्री के मध्य की भूमि का अर्जन ।

उपाध्यक्ष ने अवगत कराया कि इस क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर
है । सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्राधिकरण की आवश्यकतानुसार
भूअर्जन के प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे ।

प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि इस क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण
करा लिया जाये तथा कालान्तर मे जब भूमि का अधिग्रहण आवश्यक होगा
तो प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरान्त ही अर्जन की कार्यवाही
की जाये ।

उपाध्यक्ष ने कहा कि यदि कोई तलपट मानचित्र उस क्षेत्र का प्रस्तुत
किया जाता है जिस क्षेत्र का अधिग्रहण प्रस्ताव पूर्व में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत
है तो क्या नीति अपनायी जाये । इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त निर्णय लिया
गया कि चूँकि प्राधिकरण द्वारा अर्जन प्रस्ताव की स्वीकृति दी जा चुकी है अतः
यदि कोई तलपट मानचित्र उक्त भूमि के सम्बन्ध में आता है तो उसे प्राधिकरण
के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये ।

2- मेरठ बाईपास, रुडकी रेलवे लाईन, सरधना रोड एवं मास्टर प्लान डिवलपमेन्ट एरिया बाउन्ड्री के मध्य भूमि अर्जन । उपरोक्तानुसार ।

3- दिल्ली रेलवे लाईन, मेरठ बाईपास, बागपत रोड, बडौत रोड के मध्य भूमि का अर्जन । उपरोक्तानुसार ।

4- बिजनौर रोड पर डिफैन्स कालोनी के निकट भूमि का अर्जन ।

उपाध्यक्ष ने अवगत कराया कि इस योजना में 196.19 एकड़ भूमि की भूमि अध्यापि अधिनियम के अन्तर्गत धारा-4 व 6 की विज्ञप्तियाँ जारी की जा चुकी हैं तथा इस स्थल पर “रक्षापुरम्” के नाम से पंजीकरण भी खोल दिया गया है । प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि इस योजना का तलपट मानचित्र शीघ्र तैयार कर लिया जाये तथा दुर्बल आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के भवनों के निर्माण के बिषय में विशेष ध्यान देकर तलपट मानचित्र बनायें जायें । यह भी आदेश दिये गये कि प्राधिकरण की आगामी बैठक में इस योजना का सम्पूर्ण प्रारूप तलपट मानचित्र सहित प्रस्तुत किया जाये ।

5- मेरठ - रुडकी रोड एवं मेरठ - बिजनौर रोड तथा मास्टर प्लान बाउन्ड्री के अन्तर्गत अवशेष भूमि का अर्जन ।

उपर्युक्त बिन्दु-1 के अनुसार ।

6- बिजनौर रोड और परीक्षित गढ़ रोड तथा मास्टर प्लान बाउन्ड्री के मध्य ग्राम कसेर बक्सर एवं अब्दुल्लापुर को छोड़कर शेष भूमि का अर्जन ।

उपर्युक्त बिन्दु-1 के अनुसार ।

7- मेरठ परीक्षित गढ़ रोड एवं कैन्ट बाउन्ड्री से लगे हुए नाले व परीक्षित गढ़ एवं गढ़ मुक्तेश्वर मार्ग के मिलाने वाले नाले के मध्य भूमि का अर्जन (अब्दुल्लापुर की भूमि को छोड़कर शेष भूमि)

उपर्युक्त बिन्दु-1 के अनुसार ।

8- गढ़ मुक्तेश्वर व हापुड़ रोड के मध्य अवशेष भूमि का अर्जन ।

उपर्युक्त बिन्दु - 1 के अनुसार ।

9- दिल्ली रोड व हापुड रोड के मध्य भूमि का अर्जन एवं दिल्ली रोड पर लाईट इण्डस्ट्रीज के लिये औद्योगिक योजना ।

इस सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये कि इस योजना का व्यापक प्रकाशन करा लिया जाये । चूँकि इसका भूउपयोग औद्योगिक है इसलिए यदि इस क्षेत्र में उद्योगों का विकास नियमबद्ध रूप से करना है तो ३०प्र० औद्योगिक विकास निगम से सम्पर्क करके कार्यवाही करना उचित होगा ।

उपाध्यक्ष ने अवगत कराया कि इस क्षेत्र में अर्जित की गयी भूमि के सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों ने यह आवेदन-पत्र दिये हैं कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिये भूमि का क्रय किया था तथा उसके लिये वे ३०प्र० वित्तीय निगम आदि से कर्ज भी ले चुके हैं । इस सम्बन्ध में एक उपसमिति का गठन किया गया जिसके सदस्य उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा अधीक्षण अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद प्रथम वृत्त बनाये गये हैं । ये आदेश दिये गये कि समिति अपनी स्वतः स्पष्ट रिपोर्ट प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें तथा ये भी निर्देश दिये गये कि समिति स्थल का निरीक्षण भी कर ले एवं स्थल निरीक्षण के समय आवेदनकर्ता भी उपस्थित रहें ।

10- दिल्ली रोड पर साईट इण्डस्ट्रीज के लिये औद्योगिक योजना ।

उपरोक्तानुसार ।

विशेष प्रस्ताव

उपाध्यक्ष ने अवगत कराया कि मेरठ बाईपास एवं मेरठ बागपत रोड के मध्य ६४४ एकड़ भूमि औद्योगिक/आवासीय उपयोग हेतु अध्यापिति की गयी है ।

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस योजना का विस्तृत सर्वेक्षण करा लिया जाये तथा इस क्षेत्र में कितने उद्योग स्थापित हो सकते हैं

इसकी भी जाँच कर ली जाये। उ०प्र० औद्योगिक विकास निगम से सम्पर्क करके इस क्षेत्र में उद्यमों की माँग की भी जानकारी प्राप्त कर ली जाये तथा इस सम्बन्ध में प्राधिकरण की आगामी बैठक में पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जाये।

पल्लवपुरम आवासीय योजना

मद संख्या - ३

विभिन्न योजनाओं की प्रगति का विवरण।

विकास प्राधिकरण द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की विस्तृत जानकारी उपाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी जिस पर योजनावार निम्न निर्देश दिये गये:-

पल्लवपुरम आवासीय योजना

उपाध्यक्ष ने अवगत कराया कि इस योजना में मुख्य बाधा समय से एवार्ड न होने के कारण भूमि पर कब्जा न मिलना है। प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि एवार्ड की कार्यवाही प्रत्येक दशा में दिनांक 31-12-87 तक पूर्ण कर ली जाये जिससे कि मौके पर कार्य प्रारम्भ कराया जा सके तथा उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जो निर्माण कार्य प्रथम चरण में चल रहा है उसको शीघ्रतिशीघ्र पूर्ण करके आवंटियों को कब्जा देने की कार्यवाही की जाये।

बेगमबाग आवासीय योजना

उपाध्यक्ष ने अवगत कराया कि प्राधिकरण ने उच्चतम न्यायालय से भूअर्जन का केस जीत लिया है परन्तु मौके पर भौतिक कब्जा न मिलने के कारण निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय किया गया कि उपाध्यक्ष एवं जिलाधिकारी इस सम्बन्ध में आपस में वार्ता करके भूमि पर शीघ्र ही कब्जा करके निर्माण कार्य प्रारम्भ करायें।

पाण्डव नगर आवासीय योजना

प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जितनी भूमि पर कब्जा मिल चुका है उस पर विकास कार्य इस वित्तीय बर्ष में पूर्ण कर लिया जाये तथा जो

वाद उच्च न्यायालय में चल रहे हैं उनकी प्रभावी ढंग से पैरवी करके शीघ्र निर्णय लिया जाये ।

श्रद्धापुरी आवासीय योजना

इस योजना के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि सीलिंग से अतिरिक्त घोषित भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिये उपाध्यक्ष जिलाधिकारी से सम्पर्क करके कार्यवाही करें तथा जिस भूमि पर कब्जा मिल चुका है उस पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जाये ।

हर्ष नगर व्यवसायिक योजना

उपाध्यक्ष ने अवगत कराया कि इस योजना के अन्तर्गत हैण्डलूम वस्त्र व्यापार संघ को 600/- रुपये प्रति वर्गगज के आधार पर भूमि दिये जाने का अनुबन्ध हुआ है जबकि सुनियोजित विकास करने के उपरान्त इस योजना पर खर्च काफी अधिक आ रहा है । विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि यदि इस योजना पर खर्च अधिक आ रहा है तो उसकी सूचना हैण्डलूम वस्त्र व्यापार संघ को दे दी जाये । यदि वे बढ़ी हुई दर से भूमि लेना चाहते हैं तो उन्हें भूमि उपलब्ध करा दी जाये लेकिन तब तक स्थल पर विकास कार्य रोका न जाये तथा इस भूमि का शीघ्रतिशीघ्र निस्तारण कर दिया जाये ।

जवाहर क्वार्टर्स योजना

प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उच्चतम न्यायालय में इस वाद के शीघ्र निर्णय हेतु कार्यवाही की जाये ।

विराट नगर (बाग मदरसा) आवासीय योजना

उपाध्यक्ष ने अवगत कराया कि इस योजना के सम्बन्ध में वाद उच्च न्यायालय में लम्बित है जिस कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका है । प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय किया गया कि उच्च न्यायालय में प्रभावी ढंग से पैरवी करके इस वाद का निस्तारण किया जाये ।

विकास भवन

उपाध्यक्ष ने विकास भवन के निर्माण की प्रगति के सम्बन्ध में अवगत कराया। प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस योजना की कास्टिंग सर्वप्रथम सही ढंग से कर ली जाये तथा यह नीति निर्धारित कर ली जाये कि इस भवन को किराये पर दिया जाये अथवा नीलामी द्वारा पट्टे पर। अध्यक्ष महोदय का विचार था कि इस भवन में वही नीति अपनायी जाये जिससे प्राधिकरण को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

मद संख्या-4

बिल्ट अप क्षेत्र में आच्छादन की सीमा का पुनः निर्धारण।

उपाध्यक्ष ने अवगत कराया कि मेरठ आर्किटैक्ट एसोसिएशन द्वारा यह माँग की गयी है कि वर्तमान में जो आच्छादन की सीमा निर्धारित की गयी है वह अत्यन्त ही कम है उसको बढ़ाया जाये। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने अपना मत व्यक्त किया कि आच्छादन की सीमा बढ़ाने से चूँकि बिल्टअप क्षेत्र में सड़के पतली हैं इसलिए काफी भीड़भाड़ होगी। विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसका पूर्ण परीक्षण कर लिया जाये तथा नगर की सभी सड़कों एवं क्षेत्रों का सर्वे करने के उपरान्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

मद संख्या - 5

ख्याति प्राप्त बिल्डर्स को भूमि दिया जाना।

उपाध्यक्ष ने अवगत कराया कि शासन के आदेशानुसार तथा मेरठ के सुनियोजित विकास के लिये ख्याति प्राप्त बिल्डर्स को विकास हेतु भूमि देने के प्रस्ताव पर शासन द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त की गयी है। प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यह रिपोर्ट चूँकि समस्त आवेदन-पत्रों के बिषय में वित्तीय जानकारी नहीं देती है, अतः समिति पुनः बैठक करके अपनी रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

मद संख्या - 6

आई०डी०एच० ब्लॉक की भूमि की नीलामी का निरस्तीकरण ।

उपाध्यक्ष ने आई०डी०एच० ब्लॉक की नीलामी के सम्बन्ध में प्राधिकरण को जानकारी दी । विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस नीलामी को निरस्त कर दिया जाये ।

मद सं० - 7

विकास नगर योजना में निहित 35 बीघा भूमि को अर्जन से मुक्त किया जाना ।

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि चूँकि शासन के आदेश भूमि को अर्जन प्रस्ताव से मुक्त करने के हो गये हैं इसलिए इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाये तथा प्राइवेट बिल्डर्स से शासन के आदेशों के अन्तर्गत पूर्ण बाह्य विकास शुल्क जमा कराया जाये जिससे कि इस क्षेत्र का विकास सुनियोजित ढंग से हो सके ।

मद संख्या-8

नियोजन अनुभाग में एक अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर लिया जाना ।

विचारोपरान्त यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया तथा शासन से एक अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु अनुरोध करने के आदेश दिये गये ।

मद संख्या -9

एशोसिएशन ऑफ मैट्रोपोलिटन डबलपरमेन्ट अथारिटी की सदस्यता ग्रहण करना

विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

मद संख्या - 10

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा आल इण्डिया अर्बन एण्ड हाऊसिंग डबलपमेन्ट कापोरेशन (हुडको) की सदस्यता का ग्रहण किया जाना ।

विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

मद संख्या - 11

उपाध्यक्ष द्वारा लिये गये संकल्पों की सूची ।
विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

मद संख्या - 12

सरधना रोड स्थित ग्राम नगलाताशी कासमपुर में आवासीय/व्यवसायिक भवनों के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के लिये हुडकों से ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में ।

उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि चूँकि प्राधिकरण द्वारा वृहद स्तर पर नगर के सुनियोजित विकास हेतु भूमि का अर्जन किया गया है एवं भूअर्जन हेतु प्रतिकर देने के लिये हुडको से ऋण लेने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैं विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष योजनाओं की आवश्यकतानुसार कोटिक्रम सूची बना लें जिसके आधार पर प्रथम चरण में अधिकतम 1000 एकड तक भूमि के लिये ऋण हेतु हुडको से अनुरोध किया जाये तथा जिन योजनाओं के ऋण के लिये प्रस्ताव हुडको में भेजे जायें उनका विवरण आगामी बैठक में रखा जाये ।

कार्यवाही की पुष्टि की जाती है ।

ह०/-

(वी०के० दीवान)

अध्यक्ष

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ ।